



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 18.05.2025

थाना नगीना पुलिस ने हिस्ट्रीशटर सहित 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. सैफ अली पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम लालवाला औरंगबाद थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 2.शहजाद पुत्र युसुफ निवासी मौ० कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना नगीना पर अवैध शस्त्र की धाराओं में मु०अ०सं० 78/25 बनाम सैफ अली उपरोक्त व मु०अ०सं० 79/25 बनाम शहजाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



नोट- अभियुक्त शहजाद थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर अपराधी (हिस्ट्रीशीट सं० 129a) है जिसके विरुद्ध थाना नगीना / नगीना देहात पर करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सैफ अली पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम लालवाला औरंगबाद थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 2.शहजाद पुत्र युसुफ निवासी मौ० कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

02 अवैध तमन्चे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०सं० 210/17 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 211/17 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 75/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर
- 4.मु०अ०सं० 127/19 धारा 380 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर
- 5.मु०अ०सं० 160/19 धारा 392/411 भादवि थाना नगीना बिजनौर
- 6.मु०अ०सं० 229/19 धारा 380 भादवि थाना नगीना बिजनौर
- 7.मु०अ०सं० 278/19 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना नगीना बिजनौर
- 8.मु०अ०सं० 359/19 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना नगीना बिजनौर

9. मु0अ0स0 28/20 धारा 380/457/452 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर
10. मु0अ0स0 48/20 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना बिजनौर
11. मु0अ0स0 49/20 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना बिजनौर
12. मु0अ0स0 51/20 धारा 380/352 भादवि थाना नगीना बिजनौर
13. मु0अ0स0 55/20 धारा 307/504 भादवि थाना नगीना बिजनौर
14. मु0अ0स0 57/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना नगीना बिजनौर
15. मु0अ0स0 126/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना बिजनौर
16. मु0अ0स0 171/20 धारा 420/411/414/465/482 भादवि व 4/25 आम्स एक्ट थाना नगीना
17. मु0अ0स0 334/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना नगीना बिजनौर
18. मु0अ0स0 482/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना बिजनौर
19. मु0अ0स0 89/22 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना नगीना बिजनौर
20. मु0अ0स0 173/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना बिजनौर
21. मु0अ0सं0 79/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना बिजनौर

अभियुक्त सैफ अली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 17/25 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना नगीना देहात बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 78/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सोहन सिंह पुण्डीर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
4. का0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
5. का0 2243 संदीप तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
6. का0 1575 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
7. का0 1056 अंकित सौलानिया थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शिवालाकला

दिनांक 18.05.2025

थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/25 धारा 352/115(2/351(2)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.05.2025 को वादी नरेशपाल सिंह पुत्र खचेडू सिंह निवासी ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकला पर तहरीर दी वादी के भाई कावेन्द्र सिंह पर गन्ना ठेकेदार रामअवतार पुत्र बलवीर निवासी ग्राम का फोन आया कि अभियुक्तगण 1. इसरत पुत्र जाकिर 2. जाहिद पुत्र साबिर 3. युसुफ पुत्र जाबिर 4. शमशेर पुत्र जाकिर निवासीगण ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर मेरे घर आकर गाली गलौच कर रहे हैं। वादी का भाई कावेन्द्र, रामअवतार के घर पहुंचा तो अभियुक्तगणों इसरत, जाकिर, युसुफ व शमशेर ने उसके साथ गाली गलौच की व जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो से वार किया, जिससे वादी के भाई कावेन्द्र को गम्भीर चोटे आयी। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकला पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 352/115(2/351(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त युसुफ पुत्र जाबिर निवासी ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

युसुफ पुत्र जाबिर निवासी ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- उ0नि0 श्री संजयपाल थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर।
- 2- उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर।
- 3- हे0का0 725 सचिन राठी थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर।
- 4- का0 1998 विष्णु शर्मा थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक - 18.05.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को 1 कुंतल 83 किलो अवैध गांजा सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण -

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त हर्ष वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी मौ० चाहशीरी कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को



प्लास्टिक के 13 कट्टों में कुल 181.370 कि०ग्रा० अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया तथा इसका साथी अभियुक्त केशव दुबे पुत्र रत्नाकर दुबे निवासी मौ० खत्रीयान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 430/25 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. हर्ष वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी मौ० चाहशीरी कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण -

1. प्लास्टिक के 13 कट्टों में कुल 181.370 कि०ग्रा० गांजा
2. एक कट्टे में पैक खाली पन्नी
3. एक प्लास्टिक के डब्बे में इलेक्ट्रॉनिक कांटा मय स्टैप्लर
4. एक प्लास्टिक के डब्बे में एक मोबाईल होनर कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्र०नि० उदय प्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. व०उ०नि० सतेन्द्र मलिक थाना कोतवाली शहर बिजनौर
3. उ०नि० तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. उ0नि0 ब्राइट फलावर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. उ0नि0 शिवम सक्सैना थाना कोतवाली शहर बिजनौर
7. हैका0 850 नीरज थाना कोतवाली शहर बिजनौर
8. हैका0 481 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर बिजनौर
9. का0 904 विमल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
10. का0 2538 नीटू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
11. का० 112 गौरव थाना को० शहर जनपद बिजनौर
12. का0 1599 गौरव थाना को0 शहर बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 18.05.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नहतौर	शोराम पुत्र प्रभु सिंह निवासी ग्राम खेडी जट थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
2	स्योहारा	तेजपाल पुत्र स्वराज सिंह निवासी ग्राम कृष्णा रामपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3	स्योहारा	खेन्द्र पुत्र रामफल निवासी ग्राम पित्थपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
4	स्योहारा	महिपाल पुत्र नत्थु सिंह निवासी फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
5	धामपुर	हर्ष पुत्र विरेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर बिजनौर ।
6	धामपुर	शिवकुमार पुत्र जगदीश निवासी ग्राम हकीम पुर शंकरगंज उर्फ मधोरा थाना धामपुर ।
7	धामपुर	राहत पुत्र लियाकत नि० ग्राम नींदडु थाना धामपुर बिजनौर ।
8	धामपुर	हरगुलाल पुत्र मुरली नि० ग्राम मटोरामान थाना धामपुर बिजनौर ।
9	नगीना देहात	दिव्या पत्नी त्रिलोक नि० नागरपुर खडकसैन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 18.05.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गई 02 मोटरसाइकिल (मय पार्टस) सहित किया गिरफ्तार तथा साथी 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही विवरण –

थाना नूरपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.साहित पुत्र नवाब निवासी मौ० चाहसंग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 2.इब्राहिम उर्फ नायक पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मौ० चिम्मन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई मो०सा० हीरो स्पेलन्डर प्लस नं० UP20PO-4983 (सही नम्बर प्लेट UP20BJ-4029) बरामद हुई। (इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 168/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है) अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मो०सा० हीरो स्पेलन्डर UP20CH-5708 बरामद हुई। मौके से अभियुक्तों के 03 साथी बालअपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।



अभियुक्तों की निशांदाही पर अभियुक्त इब्राहिम उर्फ नायक की बास्ता रोड स्थित फ्रेश फायर पिज्जा की दुकान से एक मोटरसाइकिल के पुर्जे (एक टंकी, दो टायर मय रिम, एक चेसिस मय इंजन, एक साइलेन्सर, एक सीट कवर, एक हैंडिल मय हैड लाइट, नम्बर प्लेट UP20BV9237 वायर एवं अन्य पुर्जे) बरामद किये गए। उक्त मो०सा० चोरी के संबंध में थाना हल्दौर पर मु०अ०सं० 124/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण

अभियुक्तों से की गई पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि उनके द्वारा अभियुक्त साहिल की मो०सा० UP20CH-5708 को चोरी की घटना में इस्तेमाल किया जाता है तथा चोरी की गई मो०सा० को अभियुक्त इब्राहिम उर्फ नायक की बास्ता रोड स्थित फ्रेश फायर पिज्जा की दुकान में छुपा देते हैं व पहचान छुपाने के लिये मो०सा० की नम्बर प्लेट बदल देते हैं तथा चोरी की गई मो०सा० के पुर्जों को खोलकर कबाड़ी में बेच देते हैं।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.साहित पुत्र नवाब निवासी मौ० चाहसंग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2.इब्राहिम उर्फ नायक पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मौ० चिम्मन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3.तीन बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

बरामदगी विवरण

- 1.मोटरसाइकिल हीरो स्पेलण्डर प्लस नं० UP-20PO4983
- 2.मोटसाइकिल हीरो स्पेलण्डर नम्बर UP 20 CH-5708 (घटना में प्रयुक्त)
- 3.मोटरसाइकिल के पार्टस (एक टंकी, दो टायर मय रिम, एक चेसिस मय इंजन, एक साइलेन्सर, एक सीट कवर, एक हैंडिल मय हैड लाइट, नम्बर प्लेट UP20BV-9237)

अभियुक्तगण व बालअपचारीगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 124/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 168/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री शिवा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री प्रवेज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.मुख्य आरक्षी सुमित कुमार, थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.आरक्षी आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.आरक्षी विपुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना हल्दौर

दिनांक-18.05.2025

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126/2025 धारा 299/353(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.2025 को वादी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त ओसाफ पुत्र मोमीन निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर धर्म विशेष के ईष के प्रति अभ्रद टिप्पणी की गयी है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 126/2025 धारा 299/353(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 18.05.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ओसाफ पुत्र मोमीन निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

ओसाफ पुत्र मोमीन निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री सुभाष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 31 अमित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2385 अंकुर तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 18.05.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 95/25 धारा 331(4)/305(a)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.03.2025 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त फय्याज पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 हकीमपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर सहित 03 अभियुक्तों द्वारा वादिनी की दुकान से सामान चोरी कर लिया गया एवं वादिनी के घर के बाहर लगे कैमरे तोड़कर अपने साथ ले गए तथा अभियुक्तों द्वारा वादिनी व उसके परिजनो से गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 331(4)/305(a)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फय्याज पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 हकीमपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को उपरोक्त घटना से संबंधित 03 कैमरो सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फय्याज पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 हकीमपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण

03 कैमरे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 95/25 धारा 331(4)/305(a)/324(4)/351(3)/352/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी मनोज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.मुख्य आरक्षी सरित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 18.05.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.02.2025 को वादी श्री संजीव कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम मंगलखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त इरफान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम हरौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व अन्य व्यक्ति ने वादी की दुकान से गिलेन्डर, ड्रिल मशीन, टूल बॉक्स, चाबी / पाने सहित दो कुन्टल लोहा, एक वैल्डिंग मशीन व अन्य सामान चोरी कर लिया। इस सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



दिनांक 10.05.2025 को वादिया मंजू (प्र0अ0) प्रा0 वि0 ठाट जट न्याय पंचायत मानपुरी शिवपुरी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 09/10.05.2025 की रात्रि में अज्ञात चोर ने विद्यालय से इन्वर्टर व LED REDMI चोरी कर ली है। इस सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 180/25 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त सुमित पुत्र सुनील निवासी मौ0 चौक बाजार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का भी नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.05.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्तगण इरफान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम हरौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व सुमित पुत्र सुनील निवासी मौ0 चौक बाजार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया इन्वर्टर, गिलेन्डर, ड्रिल मशीन व LED टीवी बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. इरफान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम हरौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. सुमित पुत्र सुनील निवासी मौ0 चौक बाजार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किया गया इन्वर्टर, गिलेन्डर, ड्रिल मशीन व LED टीवी

अभियुक्त इरफान का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 418/22 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 671/23 धारा 411/412/413 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 74/25 धारा 305(A) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 180/25 धारा 305(A) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

अभियुक्त सुमित का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 180/25 धारा 305(A) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. म०उ०नि० काजल तेवतिया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. का० 2135 अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. का० 1613 रचित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. कां० 1999 सतपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावली

दिनांक - 18.05.2025

थाना मंडावली पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस व घटना में प्रयुक्त कार सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण -

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों प्रतीक मित्तल पुत्र स्व० श्री मुकेश मित्तल निवासी आर्य नगर थाना



कोतवाली शहर जनपद मुरादाबाद व रिषभ कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी ऐजेन्सी मोहल्ला कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद पौड़ी (उत्तराखण्ड) को कुल 01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस व घटना में प्रयुक्त कार (UKP15CM0041) सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंडावली पर मु०अ०सं० 56/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. प्रतीक मित्तल पुत्र स्व० श्री मुकेश मित्तल निवासी आर्य नगर थाना कोतवाली शहर जनपद मुरादाबाद
2. रिषभ कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी ऐजेन्सी मोहल्ला कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद पौड़ी (उत्तराखण्ड)

बरामदगी का विवरण -

1. 01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस
2. एक कार (UKP15CM0041)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री संजय कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
2. हे०का० 833 अंकुर दुहूण थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
3. हे०का० 80 दीपक थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
4. का० 2585 ब्रिजेश कुमार मंडावली जनपद बिजनौर